an>

Title: Need to fix the uniform age of retirement for doctors.

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर) ः मैं सरकार का ध्यान प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत सरकार में कार्यरत सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने की घोषणा पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

माननीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल का पूरे देश, विशेषकर चिकित्सा समुदाय ने हार्दिक स्वागत किया है किन्तु स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गयी अधिसूचना को इस उद्देश्य की प्राप्ति में गंभीर संकट आसन्न दिखाई दे रहे हैं। भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में चार उपवर्ग है जोकि टीचिंग, नॉन टीचिंग से जनरल ड्यूटी तक विभक्त है एवं इसे प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करने वाला वर्ग भी शामिल है। जारी की गई अधिसूचना में प्रशासनिक कार्य आयु एवं सेवानिवृत आयु को विहित किया गया है। प्रशासनिक कार्य आयु को 62 वर्ष रखा गया है जबकि सेवानिवृत आयु को 65 वर्ष कर दिया गया है। इसका अर्थ यह कि जो चिकित्सक प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं जैसे डायरेक्टर, चिकित्सा अधीक्षक, डीन इत्यादि वे सब 62 वर्ष तक ही पदों में रहेंगे एवं सामान्य चिकित्सक तौर पर कार्य करने के अधिकारी होंगे। इस आदेश के फलस्वरूप अनेक विसंगतियां उत्पन्न होंगी जैसे वरिष्ठ चिकित्सक अपने कनिष्ठों से किस स्थिति में होंगे व क्या अब इनका मूल्यांकन कनिष्ठों के रूप में किया जाएगा और क्या इनकी कार्यदशायें कनिष्ठ डॉक्टर तय करेंगे। इन सभी भ्रांतियों के चलते काम-काज में काफी असर पड़ेगा एवं कार्यदक्षता भी प्रभावित होगी एवं वरिष्ठों, कनिष्ठों एवं समकक्षों में एक अघोषित कश्मकश, अविश्वास व घात-प्रतिघात की भावना विकसित होगी।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि उक्त अधिसूचना में संभावित एवं दुष्परिणामों को देखते हुए इस पर विचार कर एक उपयुक्त एवं समन्वयकारी अधिसूचना जारी करनी चाहिए जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा से जन कल्याण की पूर्ति हो सके।